JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉ. बाबा साहेब का योगदान

Dr. Vandana Sharma

✦ प्रस्तावना

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेड़कर जी का नाम इतिहास के पुस्तकों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत काम किये और उन्होंने महिलाओं के अधिकार दिलाकर उनको स्वतन्त्रता से जीवन जीने में अहम् भूमिका निभाई है। वह कहते थे कि सही मायने में प्रजातन्त्र तब आयेगा जब महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा मिलेगा एवम् पुरुषों के समान अधिकार दिये जाएंगे। उन्होंने महिलाओं के लिए समान शिक्षा, समानता एवम् सम्मान के अधिकार की बात कही एवम् इस कार्य के लिए सदैव कार्यरत रहे। उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से मुख्य रुप से "मुकनायक एवम् बहिष्कृत भारत" नामक दो अखबारों की स्थापना भी की थी। ये दोनों अखबार महिला सशक्तिकरण का मुख्य केन्द्र था। डॉ. बाबा साहेबजी ने बोम्बे विधान परिषद में प्रसव के दौरान होनेवाली समस्या एवम् स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे थे। उनके विचारों से सहमत होकर फिर बोम्बे विधान परिषद ने सवैतनिक मातृत्व अवकाश का कानुन बना दिया। इस कानुन को सभी सरकारी संस्थाओं में लागू करा दिया गया था। डॉ. बाबा साहेबने भारतीय महिलाओं की गरिमा एवम् समानता को संविधान में बहुत महत्त्व दिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेदो के अनेक प्रावधानों के द्वारा भारतीय महिलाओं के लिए सुरक्षा, समानता, बराबरी के अधिकार आदि की व्यवस्था की है।

हेतु

(1) डॉ. बाबा साहेब का महिलाओं के प्रति योगदान को समझे।

(2) डॉ. बाब साहेब ने महिलाओं के लिए बनाए गए कानून को जाने।

(3) डॉ. बाबा साहेब की पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार की बात को समझे।

✦ डॉ. बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए अनुच्छेद

- अनुच्छेद-14 राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार एवम् समान अवसर।
- अनुच्छेद-15 लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक।
- अनुच्छेद-15 (3) महिलाओं के लिए विशेष उपबन्ध को निवारित नहीं करता।
- अनुच्छेद-39 जीवन निर्वाह के बराबर अधिकार एवम् समान कार्य के लिए समान वेतन।
- अनुच्छेद-42 मानवीय परिस्थिति एवम् मातृलाभ
- अनुच्छेद-46 राज्य जनता के दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हिंतो की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवम् सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।
- अनुच्छेद-47 राज्य अपने लोगो के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊँचा करने एवम् लोक स्वास्थ्य इत्यादि का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद-51 (क) (स) ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
- अनुच्छेद-243 (3), 243 (ट) (3), 243 (र) (4) पंचायती राज व्यवस्था में सीटों का आवंटन उपलब्ध करता हैं।

डॉ. बाबा साहेबजी ने 11 अप्रैल 1947 को लोकसभा में हिन्दु कोड बिल पेश किया था। इसके 9 भाग थे, इसमें 139 धाराएँ एवम् 7 सूचियाँ थी। इस बिल में भारतीय महिलाओं को विवाह विच्छेद, अल्पायु मे विवाह करने पर प्रतिबन्ध, जीवन साथी चुनाव एवम् अंतर्जातीय विवाह का अधिकार, संपत्ति में बेटे के बराबर बेटी का अधिकार एवम् गोद लेने एवम् संरक्षता के अधिकार का प्रावधान था। 16 अगस्त 1951 में हिन्दु कोड बिल संसद में पेश किया गया, किन्तु यह हिन्दु कोड बिल पास नहीं हो पाया था लेकिन आगे चलकर खण्ड़ों में विभक्त होकर पारित हुआ जो निम्नलिखित है।

1. **द हिन्दु मैरिज एक्ट 1955**

इस एक्ट के द्वारा एक विधवा को भी पुत्री या पुत्र गोद लेने का अधिकार दिया गया। एवम् अपनी सम्पत्ति को भी वह जिसको चाहे दे सकती है।

2. **द हिन्दु एक्सटेन्शन एक्ट 1956**

इस एक्ट के द्वारा एक विवाह को वैधता दी गई, दुसरे विवाह के लिए कानुनन दण्ड़ का प्रावधान, एवम् कन्या की विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई।

3. **द हिन्दु माइनारिटी एण्ड़ गार्डियनशिप एक्ट 1956**

इस एक्ट के द्वारा माँ को अधिकार है कि वह अपने बच्चो के संरक्षक बदल सके। नाबालिक बच्चे का संरक्षक नियुक्ति करने में पत्नी की अनुमति आवश्यक है।

4. **द हिन्दु एडोप्शन एक्ट 1956**

इस एक्ट के द्वारा गोद लेने में लड़की या लड़का किसी को भी गोद ले सकते है। एक स्त्री अपने जीवन में किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है। अविवाहित या विधवा को भी गोद लेने का अधिकार दिया गया है।

इस प्रकार से 1955-56 में हिन्दु कोड़ बिल खण्ड़ों में विभन्न होकर पारित हुआ।

डॉ. आम्बेडकरजी ने भारतीय महिलाओं को कानुनन पुरुषों के बराबर अधिकार दिलवाकर उनमें नई चेतना की ज्योति जलाई।

✦ उपसंहार

डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधानों के अनेक प्रावधानों के द्वारा भारतीय महिलाओं को सामाजिक, वैधानिक एवम् राजनैतिक स्तर पर पुरुषों के समान अधिकार दिलायें। जिससे भारतीय महिलाए हर क्षेत्र में अपनी उन्नति के अवसर प्राप्त करके "इस देश के" सर्वांगीण विकास में पुरुषों से कन्धे से कन्धे मिलाकर देश को आगे ले जाये। डॉ. बाबा साहेबजी ने अपने अतुल्य प्रयासो से भारतीय समाज में भारतीय महिलाओं को पुनः प्रतिष्ठित किया। जिसके फल स्वरुप आज भारतीय महिलायें हर क्षेत्र में कार्य करने करती हुई है। अंतरिक्ष तक पहुँच चुकी है। उनका जीवन सामाजिक सुधारक एवं भारतीय सामाजिक एकीकरण की अनोखी

मिशाल है। भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेड़कर एक चमकता हुआ सितारा बन गए जिनकी ज्ञान की ज्योति ने न केवल भारत में परन्तु सम्पूर्ण विश्व में अपना प्रकाश फैलाया है।

संदर्भ

- आम्बेडकर, बी.आर. (1916) "भारत में जातियाँ और उनका मशीनीकरण।"
- आम्बेडकर, बी. आर. (1927) "बहिष्कृत भारत"
- आम्बेडकर, बी. आर. (1937) "जाति का उच्छेद"
- मकवाणा, किशोर (2019) "जीवन दर्शन" (डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर)
- प्रभात प्रकाशन (2022) "भारत का संविधान"
- डॉ. बाबा साहेब (वीकीपीडिया)